



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, करवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/858468593 दिनांक: 24-1-19

1. प्रो. राधेश्याम शर्मा, कुलपति एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. संजीव शर्मा, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
3. प्रो. अब्दुल शकूर खान, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
4. प्रो. योगेश्वरी गुप्ता, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
5. प्रो. पंकज शर्मा, चेररमैन, होम्योपैथी अध्ययन मण्डल, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, जयपुर
6. प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ल, प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
7. प्रो. ओम प्रकाश दवे, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, शल्यतंत्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
8. डॉ. परमानन्द उपाध्याय, एसो.प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, अगदतंत्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
9. डॉ. पुनीता शर्मा, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
10. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विषय :- डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 24 जनवरी 2019 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का उपवेशन, जो दिनांक 24 जनवरी 2019 को दोपहर 12.30 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक खण्ड, नागौर रोड़, जोधपुर में आयोजित किया गया था, में लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही विवरण आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपर्युक्त कार्यवाही विवरण।

भवदीय

कुलसचिव

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विद्या परिषद् का उपवेशन

24 जनवरी 2019

कार्यवाही विवरण



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/

दिनांक:

कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का उपवेशन दिनांक 24.01.2019 को माननीय कुलपति महोदय प्रो. डॉ. राधेश्याम शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर 12.30 बजे विश्वविद्यालय परिसर, कडवड़, नागौर रोड़, जोधपुर में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. प्रो. राधेश्याम शर्मा, कुलपति एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. अब्दुल शकूर खान, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
3. प्रो. पंकज शर्मा, चेयरमैन, होम्योपैथी अध्ययन मण्डल, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, जयपुर
4. प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ल, प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
5. प्रो. ओम प्रकाश दवे, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, शल्यतंत्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
6. डॉ. परमानन्द उपाध्याय, एसो.प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, अगदतंत्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
7. डॉ. पुनीता शर्मा, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
8. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुए:-

9. प्रो. संजीव शर्मा, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
10. प्रो. योगेश्वरी गुप्ता, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, C/o स्वास्थ्य कल्याण भवन, 10th-A, Institutional Area, सीतापुरा, टोंक रोड़, जयपुर

Yam 8/2

24/1/19

B. S. S.

4/1

Su

सर्वप्रथम विद्या परिषद् के दिनांक 24 जनवरी 2019 को आयोजित उपवेशन में पधारने वाले उपस्थित सदस्यों का माननीय कुलपति महोदय के स्वागतोपरान्त एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
1.	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 05 अक्टूबर 2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
2.	विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त नये एवं पुराने स्नातक एवं स्नातकोत्तर आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी/योग महाविद्यालय एवं आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों/बीएस.सी. आयुर्वेद नर्सिंग/एक वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2019-20 के निरीक्षणकों की नियुक्ति पर विचार।	<p>विद्या परिषद् द्वारा सत्र 2019-20 की सम्बद्धता हेतु नये एवं पुराने स्नातक एवं स्नातकोत्तर आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी/योग महाविद्यालय एवं आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों/ बीएस.सी. आयुर्वेद नर्सिंग/एक वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु सर्वसम्मति से माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>वर्ष 2018-19 में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश की पालना में दो योगा महाविद्यालय</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रो. एस. करण शिक्षा समिति द्वारा संचालित रामकुमारी कॉलेज ऑफ योग एवं नैचुरोपैथी महाविद्यालय, मुकुन्दगढ़ मंडी, झुंझुनू 2. गुरुकुल शिक्षण संस्थान, सीकर द्वारा संचालित शेखावटी योग एवं नैचुरोपैथी महाविद्यालय, फतेहपुर रोड़, सीकर <p>इस हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा निरीक्षण करवाकर निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सम्बद्धता प्रदान की गई। जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p> <p>माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश की पालना में बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग एवं आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र के निम्न महाविद्यालयों/प्रशिक्षण केन्द्रों का माननीय कुलपति महोदय द्वारा निरीक्षण करवाया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रो. एस. करण शिक्षा समिति द्वारा संचालित रामकुमारी बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय/आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, मुकुन्दगढ़ मंडी, झुंझुनू

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
		<p>2. गुरुकुल शिक्षण संस्थान, सीकर द्वारा संचालित शेखावटी बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय /आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, फतेहपुर रोड़, सीकर</p> <p>3. श्याम शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित महाला बी. एससी. आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय/आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, खाटूश्याम जी रोड़, रिंगस, सीकर</p> <p>इस हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा निरीक्षण हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सम्बद्धता हेतु सर्वसम्मति से माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
3.	विश्वविद्यालय के कुलपति पद के प्रावधानों में संशोधन के क्रम में उपशासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 25(29)आयु./2018 दिनांक 31.08.2018 पर विचार-विमर्श।	इस बाबत अन्य विश्वविद्यालयों से पत्राचार कर उनके द्वारा की गई कार्यवाही मंगवाई जाकर आगामी विद्या परिषद् में रखे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
4.	ऑस्टियोपैथी (अस्थि स्थापन) एवं मर्म चिकित्सा तकनीकी सहायक एक वर्षीय प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु विचार-विमर्श।	ऑस्टियोपैथी (अस्थि स्थापन) एवं मर्म चिकित्सा तकनीकी सहायक एक वर्षीय प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त एक माह के विशिखानु प्रशिक्षण (Internship) पृथक् से किए जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
5.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 7-100/2018-Regn. दिनांक 17.12.18 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाली उपाधियों की भाषा में संशोधन बाबत।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
6.	राजभवन से एण्डोमेन्ट फण्ड के बारे में गठित वी.सी.सी.सी. कुलपतियों की कमेटी की अनुशंषा के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय की निजी आय से एण्डोमेन्ट फण्ड से 3.5 लाख रुपये स्थानान्तरण करने एवं प्रकरण आगामी वित्त एवं लेखा समिति के उपवेशन में रखे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
7.	विश्वविद्यालय की आन्तरिक जाँच वित्त विभाग स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा कराये जाने का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

Pamru

Amr
24/11/18

Baner

Amr
24/11/18

Amr

Amr

Amr

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
8.	विश्वविद्यालय में रिसर्च एण्ड डवलपमेंट कार्य को बढ़ावा दिए जाने पर विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय में रिसर्च एण्ड डवलपमेंट कार्य को बढ़ावा दिए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को एक कमेटी गठित करने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। सभी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को अपने-अपने क्षेत्र में पांच से सात दिन का कैम्प लगाकर काढ़ा/औषधि पिलाने हेतु निर्देशित किए जाने का निर्णय लिया गया तथा इसकी सूचना प्रति सप्ताह विश्वविद्यालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किए जाने का निर्णय लिया गया।
9.	विश्वविद्यालय को आयुर्वेद औषध निर्माण के क्षेत्र में नोडल एजेंसी बनाये जाने एवं मोडल के तौर पर विकसित किये जाने की सम्भावना पर विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय को आयुर्वेद औषध निर्माण के क्षेत्र में नोडल एजेंसी बनाये जाने एवं मोडल के तौर पर विकसित किये जाने की सम्भावना पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय के चिकित्सालय एवं आंगिक आयुर्वेद चिकित्सालय, पूंजला में एक काउंटर स्थापित कर विश्वविद्यालय फार्मैसी द्वारा निर्मित औषधियों को विक्रय करने का निर्णय लिया गया।
10.	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित रसायनशाला में कतिपय औषधियों के निर्माण की जाकर राज्य सरकार को सप्लाई दी जाने बाबत विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित रसायनशाला में कतिपय औषधियों के निर्माण की जाकर राज्य सरकार को सप्लाई दी जाने बाबत विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
11.	विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा एवं जनसेवा के क्षेत्र में किये गये श्रेष्ठ कार्यों की (Success Stories) तैयार कर उसका इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार बाबत विचार-विमर्श।	माननीय कुलपति महोदय को एक कमेटी गठित करने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
12.	IEC activities के लिये एक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने पर विचार।	
13.	आयुर्वेद में स्नातक डिग्री करने वालों के लिए रोजगार के अवसर विकसित किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने बाबत विचार-विमर्श।	आयुष (आयुर्वेद/होम्योपैथी/युनानी) में स्नातक डिग्री करने वालों के लिए रोजगार के अवसर विकसित किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को एक कमेटी गठित करने हेतु सर्वसम्मति से अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

पुस्तक

24/11/14

See

पुस्तक

24/11/14

पुस्तक

44

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
14.	राज्य सरकार में आयुर्वेद विभागान्तर्गत कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु प्रशिक्षण मोड्यूल तैयार किये जाने एवं चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाने पर विचार-विमर्श।	राज्य सरकार में आयुर्वेद विभागान्तर्गत कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु प्रशिक्षण मोड्यूल तैयार किये जाने एवं चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाने पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया जाकर एक कमेटी गठित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया।
15.	विश्वविद्यालय के विकास हेतु आगामी पाँच वर्ष का विजन डाक्यूमेंट बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने पर विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय के विकास के लिए आगामी पाँच वर्ष का विजन डाक्यूमेंट बनाने के लिए एक कमेटी का गठित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
24/1/19

[Handwritten signature]
24.1.19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
3/1/19